प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 759 / 2022

अनवान : –

1. लाधुराम पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी वार्ड स0 03 मालिया तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. हेतराम पुत्र गोरखाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
2. महेन्द्र पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
3. सुमन पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 06.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स0 13 / 14 की कुल 24.1730 हैक्ट भूमि मे से 30218 / 120865 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा गोरखाराम पुत्र रामचन्द्र की अर्जित भूमि है। जिसके वे खातेदार काश्तकार थे वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है।

वाद भूमि बाबत बाहमी राजीनामा हो चुका है जिसके मुताबिक प्रतिवादी स0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है जिसके मुताबिक वाद भूमि में प्रतिवादी स0 3 को कोई हक हिस्सा शेष नही है बाहमी राजीनामा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 व 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है वादी उपरोक्त आशयों की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:52 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्यरोही मौजा मालिया खाता स0 14/14 प्रदर्श–1, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029–2038 रोही मौजा मालिया प्रदर्श–2 आदि प्रदर्शित करवायें। प्रतिवादी स0 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा व वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 द्वारा इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रस्तुत वाद में रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स0 13/14 की कुल 24.1730 हैक्ट भूमि मे से 30218/120865 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया स0 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर [illegible]। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत [illegible] के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स0 13/14 की कुल 24.1730 हैक्ट भूमि मे से 30218/120865 हिस्सा भूमि अर्थात 6.0436 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 6/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट– अरड़की

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 759 / 2022

अनवान : –

1. लाधुराम पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी वार्ड स0 03 मालिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. हेतराम पुत्र गोरखाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
2. महेन्द्र पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
3. सुमन पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 759 सन 2022 निर्णय दिनांक 06.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं राजीनामा तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स0 13/14 की कुल 24.1730 हैक्ट भूमि मे से 30218/120865 हिस्सा भूमि अर्थात 6.0436 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 6/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–अरड़की

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:52 IST
Reason: SelfAttested